

सम्पत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र सं० 1568 20/7

आवेदन संख्या 1532 20/7

चूँकि मोहनलाल शर्मा ने मेरे पास आवेदन किया है कि मिलिखित सम्पत्ति के सम्बंध में नियन्त्रित संव्यवहारों अवभारों का सविचरण प्रमाण-पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दे) जगदीश चन्द्र मिश्रा

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त सम्पत्ति को प्रमाणित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में और उससे सम्बंध अनुक्रमणियों में ता० 2008-20 से ता० 14/10/17 तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद कोई संव्यवहारों और अवभारों का पता नहीं चला है-

क्रम संख्या	(क) सम्पत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षकारों का नाम		दस्तावेजों की प्रविष्टि के प्रति निर्देश			
				निष्पादक	दावेदार	जिल्दस	वर्ष	पृष्ठ	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
	मोहनलाल		कानूनी - 126						
	शर्मा		खेयत - 148						
	श्री 100	14/10/17	रकबा - 8480 9.87						
	22								

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

(ख) 1. पक्षकारों को दशा में व्याप्त की दर और भुगतान को अवधि दर्ज करें। वस्तु यह कि इनके बारे में उल्लेख हों।

2. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

R.K. Jaiswal
Director

(2)
में यह प्रमाणित करता है कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवधारों को छोड़ उक्त सम्पत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवधार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया :-

(हस्ताक्षर)

(पदनाम) U.D.C

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण-पत्र की जाँच निम्न व्यक्ति ने की :-

(हस्ताक्षर)

(पदनाम) U.D.C

कार्यालय :- जिला निबंधन कार्यालय, भागलपुर

तारीख :- 14/10/17



निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

14/10/17

टिप्पणी :-

(1) इन प्रमाण में जो संव्यवहार और अवधार लिखा गया है वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत सम्पत्ति विवरण के अनुसार जांचे गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं सम्पत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया है तो ऐसी दस्तावेजों में प्रमाणित संव्यवहार (ट्रांजक्टाड) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

(2) निबंधित अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति यहियों और अनुक्रमणियों (एन्डवाइस) की प्रतिष्ठियां देखना चाहते हों, अथवा जो उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों अपना जिन्हें विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों के अवधारों के प्रमाण-पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर यहियों और अनुक्रमण उनके सामने रख दी जायेगी।

किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिये कार्यालय ने अपेक्षित तलाशी अपने भरोसे सहायकों से की है। फिर भी विनाम प्रमाण-पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम को किसी भी तरह के लिए किसी तरह ज़िम्मेदार नहीं होगा।

और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाश स्वयं की है और चूंकि उसके द्वारा दूँदे गये संव्यवहारों की सत्यापन के प्रमाण-पत्र में दिया गया है इसलिये विनाम आवेदक द्वारा न दूँदे गये ऐसे संव्यवहारों और अवधारों की छूट के लिए किसी तरह ज़िम्मेवारी न होगी जिससे उक्त व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है।

पन्नांक- 1568

दिनांक- 14/10/17

शाखा प्रबंधक, जिला निबंधन कार्यालय, भागलपुर पत्र दिनांक 14/10/17 के आलोक में प्रेषित।

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

14/10/17

Vikramshila Developers Pvt. Ltd.

R. N. Pruthi

Director

सम्पत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र सं० 1567 2017

आवेदन संख्या 1567 20

चूँकि मैंने अपने अधिकारों के बारे में मेरे पास आवेदन किया है कि मिलिखित सम्पत्ति के सम्बंध में निम्नलिखित संव्यवहारों अवभारों का सविचरण प्रमाण-पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दे) प्रिया मिश्रा

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त सम्पत्ति को प्रमाणित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में और उससे सम्बंध अनुक्रमणियों में ता० 2008 20 से ता० 12/10/17 तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद कोई संव्यवहारों और अवभारों का पता नहीं चला है-

क्रम संख्या	(क) सम्पत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षकारों का नाम		दस्तावेजों की प्रविष्टि के प्रति निर्देश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्दस	वर्ष	पृष्ठ
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	मोहनदा		खाना - 126					
	बंगला		खाना - 148					
	धाना रो	14/10/17	खाना - 4250 रु.					
	22							

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

(ख) 1 बंधक-पत्र को दशा में ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। वशत कि इनके बारे में उल्लेख हो।

2 पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

Vikramshila Developer Pvt. Ltd.

M. K. Kathalre

Director

नमन व्याक्त न तलाश को और प्रमाण-पत्र तैयार किया :-

(हस्ताक्षर)

(पदनाम) U.D.C.

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण-पत्र की जोच निम्न व्यक्ति ने की :-

(हस्ताक्षर)

(पदनाम) U.D.C.

कार्यालय :- जिला निबंधन कार्यालय, मांगलपुर

तारीख :- 14/10/17

मुहर



निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

14/10/17

टिप्पणी :-

(1) इन प्रमाण में जो संव्यवहार और अवमार लिखे गये हैं वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत सन्पत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से निम्न विवरण देकर किन्हीं सम्पत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया है तो वैसी दस्तावेजों में प्रमाणित संव्यवहार (ट्रांजक्शड) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

(2) निबंधित अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (एन्डवाइस) की प्रतिष्ठियां देखना चाहते हों, अथवा जो उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों के अवमारों के प्रमाण-पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियों और अनुक्रमण उनके सामने रख दी जायेगी।

(3) किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिये कार्यालय ने अपेक्षित तलाशी अपने भरसक सादरगानी से की है। फिर भी दिनांक प्रमाण-पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम को किसी भूत के लिये किसी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(4) और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाश स्वयं की है और चूंकि उसके द्वारा दुंदे गये संव्यवहारों की सत्यापन के प्रमाण-पत्र में दिया गया है इसलिये विभाग आवेदक द्वारा न दुंदे गये ऐसे संव्यवहारों और अवमारों की छूट के लिए किसी तरह जिम्मेवारी न होगा जिससे उक्त व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है।

पत्रांक-1567

दिनांक-14/10/17

शाखा प्रबंधक के पत्र दिनांक के आलोक में प्रेषित।

निबंधन पदाधिकारी

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

14/10/17

Vikramshila Developers Pvt. Ltd.

R.K. Khatun

Director